


न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
13 ² / _{एम}	<p>पत्तावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में सायल व सायल वकील को बार-बार आवाज मिलवायी गयी आवाज मिलाने के बावजूद सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं। फिर से जाहिर हो रहा है कि सायल व सायल वकील प्रकरण आगे चलने में कचि-गीले रहे। प्रकरण के दिनांक 8-3-2021 को लखनऊ र तलबी की बर्द ए पर निवाश रहीं। सायल व सायल वकील को तलबना पेश करने के बाद अवसर देना पर तलबना आदिनांक एक पेश करने पर सायल व सायल वकील द्वारा सायल के आदेशों की अनदेखी करना बताया है। अ. मुं.सं. 3/19 रिमीशन प्रा.पत्र के शर्तों के अनुसार सायल वकील. आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत अदम दायरी व अदम पैरवी में रखा किया जा रहा है। पत्तावली के सब प्रमाणों को वकालत में रखा है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी हिण्डान सिटी (करौली) </p>

